

पता :-	
वार्ड / टोला -	
ग्राम -	
मतदान केन्द्र संख्या -	
पंचायत -	
प्रखण्ड -	

ग्रामीण क्षेत्र

खातेदार का नाम :
बैंक का नाम :
बैंक शाखा का नाम :
बैंक खाता संख्या: <input type="text"/>
आई.एफ.एस.सी. कोड : <input type="text"/>

क्र० सं०	सदस्य का नाम	पिता / पति का नाम	उम्र	महिला / पुरुष	आधार संख्या														मोबाइल नम्बर											
1	2	3	4	5	6														7											
1																														

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम

नोट :- आधार संख्या प्रविष्ट किये जाने पर आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्र **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013**

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु स्वघोषणा—पत्र—सह—व्यक्तिगत विवरणी :—

समावेशन मानक (Inclusion Criteria) के आधार पर स्व घोषणा—पत्र

मैं
पिता/पति—.....

श्रेणी—सामान्य/पिछ़ा वर्ग/अत्यंत पिछ़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आयु—..... झारखण्ड पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि –

1. मैं और मेरे परिवार के सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्याम/प्रकम/उपकम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत नहीं हैं,

2. (i) मैं 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति हूँ अथवा,

(ii) मैं विधवा या परित्यक्ता हूँ अथवा,

(iii) मैं निःशक्त व्यक्ति हूँ एवं मेरी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक है अथवा,

(iv) मैं कैंसर/एड्स/कुष्ठ या अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति हूँ अथवा,

(v) मैं भिखारी या गृहविहिन व्यक्ति हूँ।

जो [लागू हो उसे टिक (✓) लगा] दें।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सभी तथ्य तथा संलग्न परिवार की सूची मेरे ज्ञान पर आधारित है व सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य गलत/मिथ्या पाये जाते हैं तो इसके लिये कानूनी तौर पर मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। साथ ही मैं सरकार से अनुचित रूप से ली गई सहायता (खाद्यान्व इत्यादि) का बाजार मूल्य व इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माने/ब्याज सहित राशि वापस लौटाने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। भविष्य में यदि मैं या मेरा परिवार, निर्धारित मापदण्डों की सीमा से बाहर हो जाते हैं तो मैं इसकी सूचना ग्राम पंचायत/शहरी निकाय को दूँगा/दूँगी व इस योजना के अन्तर्गत आगे लाभ नहीं लूँगा/लूँगी।

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

नाम :